न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 275/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/379)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. गुरपाल सिह पुत्र हरी सिह जाति जटसिख निवासी 17 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 28.08.2023

उपस्थित: 1.श्री मनीष कुमार जागिंड अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

––निर्णय–– दिनांक : 07.03.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 17 एफएफ, पटवार मण्डल 14 एफएफ तहसील श्रीकरनपुर की जमाबंदी के अनुसार खाता संख्या 8/7 में इकबाल सिंह पुत्र हरी सिंह के नाम से 991/8160 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार से चक 17 एफएफ के खाता संख्या 19/19 में गुरपाल सिंह पुत्र हरी सिंह के नाम से 2056/6325 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार से चक 17 एफएफ के खाता संख्या 20/18 में गुरपाल सिंह पुत्र हरी सिंह के नाम से 149/575 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार से चक 17 एफएफ के खाता संख्या 60/53 में गुरपाल सिंह पुत्र हरी सिंह के नाम से 1973/6325 हिस्सा दर्ज है। चक 17 एफएफ के खाता संख्या 8/7 में इकबाल सिंह पुत्र हरी सिंह के नाम से 991/8160 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, लेकिन अन्य समस्त खातो में वादी का वास्तविक नाम गुरपाल सिंह पुत्र हरी सिंह जाति जटसिख अंकित है। इसी अनुसार वादी के पहचान संबंधित दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बार्डर पहचान पत्र, पंचायत की तस्दीक इत्यादि दस्तावेजो में वादी का वास्तविक नाम गुरपाल सिंह पुत्र हरी सिंह अंकित है। राजस्व अभिलेख में वादी का नाम चक 17 एफएफ के खाता संख्या 8/7 में इकबाल सिह पुत्र हरी सिंह अंकित होने के कारण, वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इसलिए उक्त संशोधन करवाने हेतु वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अत: वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 17 एफएफ, पटवार मण्डल 14 एफएफ तहसील श्रीकरनपुर की जमाबंदी के खाता संख्या 8/7 में इकबाल सिंह पुत्र हरी सिंह के स्थान पर गुरपाल सिंह पुत्र इकबाल सिंह दुरूस्त किए जाने के आदेश फरमावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को [illegible] किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 5645 दिनांक 22.11.2023 से रिपो[illegible] तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 17 एफ एफ की जमाबन्दी [illegible] 2074 [illegible] के खाता संख्या 8/7 में ईकबाल सिंह पुत्र हरी सिंह जाति जट[illegible] कार्ड, राशन कार्ड, म[illegible] पहचान पत्र, पेन कार्ड में नाम गुरपाल सिंह पुत्र हरी सिंह [illegible] है। पटवारी हल्का द्वारा [illegible] पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि ईकबाल सिंह व गुरपाल सिंह एक ही व्यक्ति है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:16:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 17 एफ एफ, पटवार हल्का 14 एफ एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 08/07 की प्रति, चक 17 एफ एफ, पटवार हल्का 14 एफ एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 19/19 की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादी के द्वारा चक 17 एफ एफ, पटवार हल्का 14 एफ एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 08/07 में अंकित नाम इकबाल सिंह पुत्र हरी सिंह के स्थान पर गुरपाल सिंह पुत्र इकबाल सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादी के मतदाता पहचान, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड में नाम गुरपाल सिंह पुत्र हरी सिंह दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि ईकबाल सिंह व गुरपाल सिंह एक ही व्यक्ति है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 17 एफ एफ, पटवार हल्का 14 एफ एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 08/07 में क्रम संख्या 2 पर अंकित नाम इकबालसिंह पुत्र हरीसिंह के स्थान पर इकबाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह पुत्र इकबाल सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 07.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:16:17 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

गुरपाल सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर **275/2023**
निर्णय दिनांक :- 07.03.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, 136-राजस्व भू अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 17 एफ एफ, पटवार हल्का 14 एफ एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 08/07 में क्रम संख्या 2 पर अंकित नाम इकबालसिंह पुत्र हरीसिंह के स्थान पर इकबाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह पुत्र इकबाल सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 07.03.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/ 2024/68 दिनांकः 07.03.2024

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:46:17 IST
Reason: SelfAttested

संशोधित अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

गुरपाल सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर **275/2023**
निर्णय दिनांक :- 07.03.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व संशोधित डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 17 एफ एफ, पटवार हल्का 14 एफ एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 08/07 में क्रम संख्या 2 पर अंकित नाम इकबालसिंह पुत्र हरीसिंह के स्थान पर इकबाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह पुत्र हरी सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 09.04.2024 को यह संशोधित पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/ 2024/135 दिनांकः 09.04.2024

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:16:17 IST
Reason: SelfAttested